भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 144

सोमवार, 1 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक)

व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

†144. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की, आंध्र प्रदेश के बापतला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित, कुल वर्षवार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्र में जिला-वार सहित इस योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का वर्षवार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों की संख्या सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिलावार ब्यौरा क्या है? और

(घ) क्या सरकार ने व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में भारतीय नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से कोई प्रचार/जागरूकता अभियान चलाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): दिनांक 26.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार, व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की संचयी संख्या 60,538 है। इस योजना के तहत निर्वाचन क्षेत्र-वार आकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

यह योजना मांग आधारित है। आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि योजना के प्रावधानों के अनुसार है।

व्यापारियों और स्व-रोजगार के बीच जागरूकता और नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठक आयोजित करना।

(ii) राज्य सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) प्रमुखों के साथ नियमित बैठक करना।

(iii) स्वैच्छिक निकास, रिवावाल मॉड्यूल, दावा स्थिति और खाता विवरण जैसी नई सुविधाओं का शुभारंभ करना।

(iv) इस योजना के तहत नामांकन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के साथ पत्राचार करना।

(v) पेंशन योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तीय सेवाएँ विभाग, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के साथ बातचीत करना।

****

*

अनुबंध -I

"व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना" के सबंध में श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी द्वारा पूछे गए दिनांक 01.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 144 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 26.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार नामांकन का ब्यौरा		
क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	नामांकन की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	191
2	आंध्र प्रदेश	5,962
3	अरुणाचल प्रदेश	90
4	असम	1,534
5	बिहार	1,874
6	चंडीगढ़	1,840
7	छत्तीसगढ	6,631
8	दिल्ली	402
9	गोवा	10
10	गुजरात	3,641
11	हरियाणा	2,085
12	हिमाचल प्रदेश	191
13	जम्मू और कश्मीर	499
14	झारखंड	653
15	कर्नाटक	3,888
16	केरल	418
17	लद्दाख	2
18	मध्य प्रदेश	1,329
19	महाराष्ट्र	2,138
20	मणिपुर	299
21	मेघालय	115
22	मिजोरम	20
23	नगालैंड	143
24	ओडिशा	1,034
25	पुदुचेरी	204

26	पंजाब	470
27	राजस्थान	1,372
28	सिक्किम	16
29	तमिलनाडु	1,191
30	तेलंगाना	885
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	28
32	त्रिपुरा	1,477
33	उत्तर प्रदेश	16,031
34	उत्तराखंड	914
35	पश्चिम बंगाल	2,961
	कुल	60,538

****